

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 197 / 2022

तारीख रजू :- 3.8.22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2022/494

उनवान

भरतलाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी महुदलालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायलान—04

बनाम

राजकुमार पुत्र परभाती जाति जाट निवासी महुदलालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान—26

दिनांक	फर्द अहकाम
36-22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बेदखल नहीं करने, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने हेतु गैरसायल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 151, 156, 163, 166, 250, 283, 284, 286, 289, 290, 293, 294, 299, 323, 324, 327, 330, 331, 332, 340, 343, 346, 425, 426, 599, 621, 829, 830, 863, 864, 865 वाके ग्रम महुदलालपुर तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हों।</p>
16/9/22	<p>(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>मिशल आई०डी० नम्बर 2022/494 आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बेदखल नहीं करने, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करने हेतु गैरसायल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 151, 156, 163, 166, 250, 283, 284, 286, 289, 290, 293, 294, 299, 323, 324, 327, 330, 331, 332, 340, 343, 346, 425, 426, 599, 621, 829, 830, 863, 864, 865 वाके ग्रम महुदलालपुर तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 16.09.2022 को पेश हों।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)